सँलग्नक-2

संख्या: जीआई-444/14-2-93-707/89.

प्रेषक,

श्री प्रमोद कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 1994.

विषय:- जनपद-मिर्जापुर, सोनभद्र व वाराणसी में 400 के0वी0 अनपरा-वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वनभूमि का 20 वर्षों हेतु उ0प्र0 रा0वि0प0 को लीज पर दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उक्त योजना हेतु 319.28 हे0 वनभूमि 20 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या;8-197/91-एफ0सी0, दिनांक: 1-11-1993 में निहित शर्तों एवं निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1-लीज पर दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उ0प्र0रा0वि0प0 भूमि अथवा इसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगी।

2-उ0प्र0 रा0वि0प0 के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को क्षति पहुँचती है, अथवा उनके द्वारा कोई क्षति पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर उ0प्र0 रा0वि0प0 द्वारा देय होगा।

3-उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी। यदि उ0प्र0रा0वि0प0 को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो उ0प्र0 रा0वि0प0 के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0सरकार को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगी--

..............2/-

अधिशासी अभियंता
विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
वाराणसी।

Executive Engineer
Electricity Transmission Division II
UPPCL, Varanasi

4- वनविभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

5- चयित भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 द्वारा किये गये निर्माण के बाद भी आरक्षित/रक्षित वनभूमि बनी रहेगी एवं इसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6- वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य कर रहे मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए उ0प्र0रा0वि0प0 ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगी या ईंधन की लकड़ी की कीमत उनके वेतन या मजदूरी में से काट ली जायेगी।

7- (अ)- वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण उ0प्र0 वन निगम द्वारा कराया जायेगा। यदि किसी कारणवश उ0प्र0रा0वि0 प0 के खड़े वृक्ष तोड़े जाते हैं, तो उसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान उ0प्र0रा0वि0 प0 से प्राप्त किया जायेगा।

(ब)- भूमि का मूल्य वर्तमान बाजार दर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी से निश्चित कराकर उसके बराबर प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10% (दस प्रतिशत) लीजरेन्ट लेकर भूमि का हस्तान्तरण किया जायेगा।

8- उ0प्र0रा0वि0प0 के व्यय पर वनविभाग के पक्ष में अलग दरामद करायी गयी 319.28 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जायेगा।

9- उ0प्र0रा0वि0प0 द्वारा मॉडल पट्टा विलेख मार्ग दर्शन के रूप में पहले ही भेजा जा चुका है। विशिष्ट शर्तें इसमें जोड़ी जा सकती है तथा पट्टा निष्पादन के पूर्व मामले में शासनादेश की शर्तों को सम्मिलित करते हुए पट्टा विलेख पर शासकीय हस्तान्तरण का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसे प्रत्येक पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयेंसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या: 198/7-जी0आई0-89-3-89, दिनांक: 19-6-1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस-01- की गई सेवाओं के लिए भुगतानों की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति के साथ भेजने का कष्ट करें।

..................3/-

Executive Engineer
Electricity Transmission Division II
U P P C L, Varanasi

अधिशासी अभियंता
विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
वाराणसी।

21- यह आदेश प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक: 30-12-1993 के अनुसार एवं वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-8-350/दस-1994, दिनांक: 5-2-1994 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रमोद कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या: जीआई-444(1)/14-2-उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) बी-1/72 सेक्टर-"के", अलीगंज, लखनऊ।
3- महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, मिर्जापुर/सोनभद्र/वाराणसी।
5- अध्यक्ष, उ0प्र0रा0वि0प0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- मुख्य वन संरक्षक (पूर्वी क्षेत्र) उ0प्र0इलाहाबाद।
7- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
8- प्रभागीय वनाधिकारी, पूर्वी मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
9- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8/ऊर्जा अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार
संयुक्त सचिव।

Executive Engineer
Electricity Transmission Division II
U.P.P.C.L. Varanasi

अधिशासी अभियंता
विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
वाराणसी।